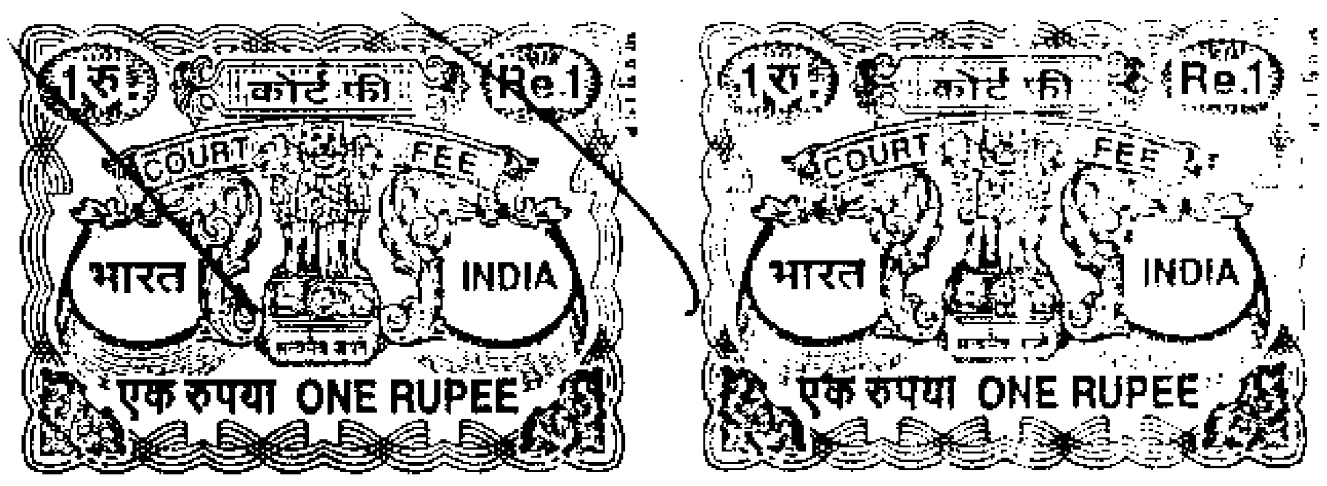

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Revision/LR/ 5721 /2011/Alwar.

1. Madiya alias Sarji son of Chait Ram
2. Kailash son of Chait Ram
   Both by caste Ahir residents of village Sabalpura Tehsil Bansur Distt. Alwar.

...Petitioners.

Versus

1. Phool Chand son of Moola Ram caste Ahir resident of Sabalpura Tehsil Bansur Distt. Alwar.
2. Durga son of Chaitram
3. Leela alias Amila son of Laxman
4. Girraj son of Laxman
5. Deshraj son of Laxman
   All by caste Ahir residents of village Sabalpura Tehsil Bansur Distt. Alwar.
6. Sevla alias Shyolal son of Chhaju (deceased) through LRs:-

6/1 Champa Devi widow of Shyolal

6/2 Pavitra Devi daughter of Shyolal wife of Bhavriya Ram
Both caste Ahir residents of Hajipura Dhani Pisrawali Post Hajipur Tehsil Bansur Distt. Alwar.

6/3 Imrati Devi daughter of Shyolal wife of Ram Singh Yadav

6/4 Thambo Devi daughter of Shyolal wife of Ramavtar Yadav
Both by caste Ahir residents of village Jhuntha

6/5 Saroj Devi daughter of Shyolal wife of Bhoop Singh Yadav caste Ahir resident of V.P.O. Kherthal Near Petrol Pump, Malor Road,

6/6 Kamla Devi daughter of Shyo Lal wife of Sarjit

6/7 Sharda Devi daughter of Shyolal wife of Lalchand
Both by caste Ahir residents of V.P.O. Shahpur Tehsil Bansur Distt. Alwar.

6/8 Bala Devi daughter of Shyolal wife of Mukesh caste Ahir resident of village Maharajpur Post Shahbad Tehsil Tijara Distt. Alwar.

7. Ghadsi son of Chhaju
8. Surja son of Chhaju
9. Basanta son of Chhaju
   All by caste Ahir residents of village Sabalpura Tehsil Bansur Distt. Alwar.

...Non-petitioners.

Revision under section 84 Rajasthan Land Revenue Act, 1956 against the order dated 28.10.09 passed by learned Sub-Divisional Officer, Bansur in case titled as 'Phoolchand Vs. Madiya'.

Ashok At

5721/11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
24-8-2011	**एकलपीठ** **श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य** **उपस्थितः-** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी श्रीमती पूनम माथर, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** यह निगरानी अंतर्गत धारा 84 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी बानसूर दिनांक 28.10.09 पेश की गई है । प्रार्थीगण द्वारा उपखंड अधिकारी के न्यायालय में विवादित भूमि के सबंध में बख्शीशनामा के आधार पर विचाराधीन नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र धारा 10 एवं 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के खातेदारी संबंधी वाद सिविल न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय उपखंड अधिकारी बानसूर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.09 को खारिज कर दिया गया, अतः यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। सुनवाई हेतु निगरानी को स्वीकार किये जाने के बिन्दु पर प्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक श्री अशोक अग्रवाल को एंव अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक श्रीमती पूनम माथुर को सुना गया। निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों और न्यायालय उपखंड अधिकारी बानसूर के निगरानी अधीन आदेश का अवलोकन एंव मनन किया गया। दौराने बहस दोनों ही पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इसी विवादित भूमि के संबंध में और इन्हीं पक्षकारान के मध्य एक अन्य नामांतरकरण के संबंध में राजस्व मंडल में निगरानी संख्या 1274/2010 विचाराधीन है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड उक्त निगरानी प्रकरण में तलब होकर सुनवाई चल रही है। पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के संबंध में खातेदारी को लेकर सिविल न्यायालय एंव राजस्व न्यायालयों में चल रही दावों/ प्रतिदावों की श्रृंखला को देखते हुये हमारा मत है कि प्रकरण में सारभूत तथ्यात्मक एंव विधि संबंधी प्रश्न निहित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर त तारीख अहकाम जो हुक्म की जारी में जारी हुए
	होने से हस्तगत निगरानी प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है। साथ ही, चूंकि समान भूमि के संबंध में समान पक्षकारान के मध्य एक अन्य निगरानी सं. 1274/2010 न्यायालय राजस्व मंडल में ही विचाराधीन है, अतः हमारा मत है कि हस्तगत् निगरानी प्रार्थना पत्र का निर्णय भी पूर्व में विचाराधीन निगरानी सं. 1274/2010 के साथ ही किया जाना आवश्यक है। परिणामतः हस्तगत निगरानी प्रार्थना पत्र को सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इसे पहले से विचाराधीन निगरानी सं. 1274/2010 के साथ संयोजित किया जावे ताकि दोनों ही निगरानी प्रकरणों में एक साथ सुनवाई होकर निर्णय किया जा सके। पत्रावली दिनांक 12-9-11 को किसी भी एकल पीठ के समक्ष प्रस्तुत हो। 24/8/11 (मूलचन्द मीणा) सदस्य	Noted 24/8/11